




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 353]
No. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 1998/ज्येष्ठ 15, 1920
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1998/JYAISTHA 15, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1998

का.आ. 490(अ).— यतः केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के तहत 4 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 638 (अ.) के त्रिरिए रा.रा. 8 का 162.5 कि.मी. से 248 कि.मी. खंड (कोटपुतली-जयपुर खंड) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया है।

अतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों और स्थानीय पुलों के उपयोग के लिए शुल्क-सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं) नियमावली, 1997 के नियम 3 और 9 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियमावली, 1997 के नियम 3 के उप-नियम (i) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के उक्त खंड के उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने फ्रैंचाइजी के माध्यम से इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियत दरों पर शुल्क वसूल करेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

[रा. रा. 8 के 162.5 कि.मी. से 248 कि.मी. खंड (कोटपुतली-जयपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क की दरें]

क्रम	वाहन की किस्म	एकतरफा यात्रा के लिए वाहन शुल्क दर (रु.)	
सं.		14-3-1999 तक	15-3-1999 से 14-3-2000 की अवधि के लिए
1.	कार/जीप/वैन	35	40
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	60	65
3.	ट्रक/बस	100	110
4.	भारी निर्माण मशीनरी एवं अर्थ मूविंग उपस्कर	260	280

बशर्ते कि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहन की किसी भी श्रेणी में रक्षा विभाग, पुलिस विभाग, अग्नि शमन विभाग, डाक तार विभाग, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के वाहन तथा एम्बुलेंस अथवा शव-यान शामिल नहीं होंगे ।

[सं. आर. डब्ल्यू/एन. एच.-37011/7/97-डीओआई]

ए.डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1998

S.O. 490(E).— Whereas the Central Government has entrusted the stretch of NH-8 from km.162.5 to km.248 (Kotputli-Jaipur Section) under Section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988(68 of 1988) to the National Highways Authority of India, vide notification No. S.O. 638 (E) dated 4th September, 1997.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3 and 9 of the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and permanent Bridge-Public Funded Projects) Rules, 1997 and sub-rule (1) of rule 3 of the National Highways (rate of fee Rules, 1997), the Central Government hereby notifies that there shall be levied fees and collected by the National Highway Authority of India through franchisee, on mechanical vehicles for the use of the said stretch of National Highway No. 8 at the rates specified in the schedule annexed hereto, namely :—

SCHEDULE

Rates of fee to be recovered from the users of stretch between km. 162.5 to Km. 248 (Kotputli-Jaipur Section of NH-8)

Sl. No.	Type of vehicle	Fee rate for vehicle for one way trip	
		(Rs.)	
		upto 14-03-1999	for the period 15-3-1999 to 14-3-2000
1	Car/Jeep/Van	35	40
2.	Light Commercial vehicle	60	65
3.	Truck/Buses	100	110
4.	Heavy Construction Machinery & Earth Moving Equipment.	260	280

Provided that any category of vehicle specified in this Schedule shall not include any vehicle on duty of Defence Department, Police Department, Fire-Fighting Department, Post and Telegraph Department, Central Government, State Government or Local Bodies and ambulance or funeral van.

[F. No. RW/NH-37011/7/97-DO. I]

A.D. NARAIN, Director General (Road Development) & Addl. Secy.